उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–02/2018–19

मु0 इस्लाम साह

बनाम्

मु0 अनवर वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक

09.11.17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 इस्लाम शाह, पे0–स्व0 गफूर शाह, सा0–बलबड्डा थाना–बलबड्डा जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–26/17–18 आदेश दिनांक–13.12.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–26/17–18 आदेश दिनांक–13.12.2017 के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–55 दिनांक–21.12.2012 रद्द किया है एवं पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–24 या 23 दिनांक–04.08.2014 को भी त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कंचनपुर जमाबंदी सं0–62 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखू फकीर के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत लखू फकीर का वंशावली निम्न प्रकार है :–

लखू फकीर (जमाबंदी रैयत)
↓
चुल्हाय शाह
↓
गफूर शाह
↓
मु0 ईस्लाम शाह (अपीलकर्त्ता) — मु0 बसीर शाह

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी की जमीन का जोत आबाद करने लगे तथा सरकार को उक्त जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। अपीलकर्त्ता को उक्त जमाबंदी की जमीन का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र का आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अंचल अधिकारी, मेहरमा को उक्त जमाबंदी का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र

निर्गत करने हेतु आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने जाँच कर अपने कार्यालय के ज्ञापांक–55 दिनांक–21.12.2012 के द्वारा उक्त जमाबंदी का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र निर्गत किया। उक्त प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए उत्तरवादी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल कर उत्तरवादी के दावे के विरूद्ध कागजात दाखिल किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। इसलिए अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कंचनपुर जमाबंदी सं0–62 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखू फकीर, पे0–कादीर अली के नाम से दर्ज है। उसी तरह मौजा–शाहीचक के जमाबंदी सं0–51 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखू साह, पे0–कादीर साह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत लखू फकीर को तीन पुत्र मकबुल साह, इताबूल साह एवं मोहम्मद साह हुए। इनमें से मकबूल साह एवं इताबूल साह की मृत्यु नावल्द हो गया है। मोहम्मद साह अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः जमाल साह, कमाल साह, मु0 हफीज साह एवं युनुस साह को छोड़कर फौत कर गये। इनमें से जमाल साह, कमाल साह एवं युनुस साह की मृत्यु नावल्द हो गया है। इस प्रकार उपरोक्त जमाबंदी की सम्पूर्ण जमीन पर उत्तराधिकारी की हैसियत मु0 हफीज साह हकदार एवं दखलकार हुए। उत्तरवादी मु0 हफीज साह के पुत्र है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी का परिवार फकीर है और ग्राम कंचनपुर में केवल एक ही फकीर परिवार है और उनका पेशा भीख माँगकर अपनी आजीविका कमाने का है और कमाने के लिए वे गाँव से बाहर रहते हैं। अपीलकर्त्ता इस्लाम एवं अन्य भी फकीर है। गत सर्वे सेटलमेंट के समय उनके पूर्वज बलबड्डा के दाग नं0–354 गैरमजरूआ जमीन पर बस गये थे। उसी गैरमजरूआ जमीन पर अपीलकर्त्ता के पूर्वज का दखल

दिखाया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज के द्वारा टाईटल सूट नं0–14 / 1976 में मौजा–कंचलपुर के जमाबंदी सं0–62 के दाग नं0–429 एवं 430 की जमीन कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया था और वर्तमान अपीलकर्त्ता के द्वारा उसी जमाबंदी के वंशज होने के आधार पर दावा कर रहा है। अपीलकर्त्ता बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है एवं बाहरी व्यक्ति होने के कारण उनका दावा निराधार है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने सारी तथ्यों पर विचार कर नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के स्पष्ट होता है कि मौजा–कंचनपुर नं0–353 जमाबंदी सं0–62 कुल रकवा 00–09–01 धुर जमीन लखू फकीर वल्द कादीर अली कौम फकीर एवं मौजा–शाहीचक नं0–360 जमाबंदी सं0–51 कुल रकवा 00–10–01 धुर जमीन लखू शाह वल्द कादीर शाह कौम फकीर शा0 कनचनपुर के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा अपीलकर्त्ता के नाम से निर्गत किया गया था। उक्त पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र को अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा रद्द किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद कटाते आ रहे हैं। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अचंल अधिकारी, मेहरमा से प्राप्त प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा गलत तथ्य बताकर पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। साथ ही दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आर0एम0ए0 नं0–37 / 2004–05(मो0 हफीज साह वगै0 बनाम् इस्लाम साह वगै0) के दिनांक–16.06.2020 के आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–शाहीचक नं0–360 जमाबंदी नं0–51 दाग नं0–85 रकवा 00–10–01 धुर एवं मौजा–कंचनपुर जमाबंदी नं0–62 दाग नं0–429 रकवा 00–03–16 एवं दाग नं0–430 रकवा 00–05–05 धुर भूमि से उच्छेद किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत से कोई संबंध

नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–26/17–18 में दिनांक–13.12.2017 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

09/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

09/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 11:03:41 +05:30
Location: 172.17.16.1